दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ

मोदी ने दी 35 हजार करोड़ की विकास सौगात

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

वडोदरा/मुंबई, 8 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात

और महाराष्ट्र के दौरे के दौरान ?35,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण किया। परियोजनाओं में रेलवे, समर्पित माल ढुलाई गलियारा, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऊर्जा, आवास और जलापूर्ति से जुड़े कार्य शामिल हैं। दौरे का प्रमुख आकर्षण पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (WDFC) के तीन महत्वपूर्ण खंडों का राष्ट्र को समर्पण रहा। WDFC के 326 किलोमीटर के तीन खंड राष्ट्र को समर्पित

वडोदरा में प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के तीन प्रमुख खंडों का लोकार्पण किया। इनकी कुल लंबाई 326 रूट किलोमीटर है और इनके निर्माण पर ?20,700 करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। इनमें साणंद (उत्तर)-मकरपुरा, न्यू उंबरगांव-न्यू सफाले और न्यू सफाले-जेएनपीए के खंड शामिल हैं। इन खंडों के चालू होने से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (जेएनपीए) के साथ सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे आयात-निर्यात माल की आवाजाही तेज करने, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों के बीच संपर्क बेहतर करने तथा लॉजिस्टिक्स लागत और परिवहन समय कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही मुंबई के रेल नेटवर्क पर माल ढुलाई का दबाव कम हो सकता है। रेलवे परियोजनाओं पर भी फोकस प्रधानमंत्री ने गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में रेल क्षमता बढ़ाने से जुड़ी करीब ?9,700 करोड़ से अधिक की तीन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा मालगाड़ी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान जॉबट-टांडा रोड नई रेल लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह रेल संपर्क अलीराजपुर के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन के साथ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहतर संपर्क मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति प्रधानमंत्री ने करीब ?1,780 करोड़ की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क संपर्क मजबूत करना, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और महत्वपूर्ण मार्गों पर आवागमन की क्षमता बढ़ाना है। सड़क और रेल दोनों क्षेत्रों में निवेश का व्यापक उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ माल और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है। बेहतर परिवहन नेटवर्क से औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावना है। 110 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना गुजरात में करीब ?2,600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इनमें कड़ाना बांध पर 110 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना, वडोदरा रिंग रोड फेज-2 और अन्य शहरी विकास कार्य शामिल हैं। इसके अलावा आवास तथा जलापूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा रहीं। जलाशय आधारित फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इनके माध्यम से उपलब्ध जल क्षेत्र का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हालांकि किसी भी ऊर्जा परियोजना की वास्तविक उपयोगिता उसके उत्पादन, रखरखाव, पर्यावरणीय प्रभाव और दीर्घकालीन संचालन पर निर्भर करेगी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन गुजरात के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन किया। यह आयोजन 8 से 11 सितंबर तक मुंबई में आयोजित हो रहा है। इस वर्ष इसका विषय पोटेंशियल टू इम्पैक्टः एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम–ट्रस्टेड, कनेक्टेड, ग्लोबल सिस्टम्स फॉर इन्क्लूसिव फाइनेंस है। फिनटेक फेस्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टोकनाइजेशन, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और समावेशी वित्त जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। आयोजन का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र, तकनीकी कंपनियों, नियामकों, निवेशकों और अन्य वैश्विक भागीदारों को एक मंच पर लाकर भविष्य की वित्तीय व्यवस्था पर विचार-विमर्श करना है। विकास परियोजनाओं की असली कसौटी क्रियान्वयन 35,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं निश्चित रूप से बड़े बुनियादी ढांचे के निवेश का संकेत देती हैं, लेकिन किसी भी परियोजना की वास्तविक सफलता केवल उसके उद्घाटन या शिलान्यास से निर्धारित नहीं होती। इसका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि निर्धारित समय में काम पूरा होता है या नहीं, लागत और गुणवत्ता का संतुलन कितना बना रहता है तथा आम नागरिकों और अर्थव्यवस्था को उसका वास्तविक लाभ कब तक मिलता है। विशेष रूप से माल ढुलाई गलियारे से उद्योगों और बंदरगाहों के बीच संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है। यदि माल परिवहन का समय और लागत घटती है तो इसका लाभ निर्यातकों, आयातकों, विनिर्माण क्षेत्र और व्यापक आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच सकता है। कनेक्टिविटी से विकास की उम्मीद

रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र में एक साथ निवेश किसी भी क्षेत्र की आर्थिक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेहतर रेल संपर्क से दूरदराज के क्षेत्रों को बाजार से जोड़ने में मदद मिल सकती है, जबकि मजबूत राजमार्ग नेटवर्क व्यापारिक गतिविधियों और यातायात को गति दे सकता है। फिर भी इन परियोजनाओं के साथ भूमि, पर्यावरण, पुनर्वास, स्थानीय यातायात और रखरखाव जैसे मुद्दों का संतुलित समाधान भी जरूरी है। विकास तभी व्यापक माना जाएगा जब उसका लाभ बड़े उद्योगों के साथ छोटे व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों और सामान्य यात्रियों तक भी पहुंचे। प्रधानमंत्री के गुजरात-महाराष्ट्र दौरे में घोषित और समर्पित परियोजनाओं ने बुनियादी ढांचे तथा डिजिटल वित्त–दोनों क्षेत्रों को एक साथ रेखांकित किया है। अब इन परियोजनाओं की प्रभावशीलता उनके जमीनी क्रियान्वयन और नागरिकों तक पहुंचने वाले वास्तविक लाभ से तय होगी।

दिल्ली में PG पर कसेगा शिकंजा, किराया और सुरक्षा होंगे तय

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026। सत्या निकेतन में हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने पेइंग गेस्ट (PG) आवासों को नियमन के दायरे में लाने की तैयारी तेज कर दी है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा कि अगले एक से दो महीनों में नई PG नीति लागू करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को मनमाने किराये, अनुचित शुल्क और असुरक्षित आवास से बचाना है। लाइसेंस के बिना नहीं चलेंगे PG प्रस्तावित पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रेगुलेशन एंड सेफ्टी बिल 2026 के तहत PG संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की योजना है। इसके साथ ही अलग-अलग जोन के आधार पर किराये की सीमा निर्धारित करने और PG भवनों का स्ट्रक्चरल तथा फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का प्रस्ताव है। सरकार एक केंद्रीय GovPG पोर्टल शुरू करने की भी योजना बना रही है। इस पर PG के किराये, उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक किए जाने का प्रस्ताव है। इससे छात्रों और अभिभावकों को आवास चुनने से पहले आवश्यक जानकारी मिल सकेगी। छात्रों ने उठाए किराये और बिजली बिल के मुद्दे विश्वविद्यालय के छात्रों और NSS स्वयंसेवकों के साथ बातचीत के दौरान ढत्र्व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं सामने आईं। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुछ मकान मालिक मनमाने तरीके से बिजली बिल वसूलते हैं और किराया समझौतों की शर्तों का पालन नहीं करते। सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतें भी सामने आईं। मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित नीति का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना और PG आवास व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किफायती छात्र आवास बढ़ाने पर जोर दिल्ली में छात्रों के लिए किफायती आवास की कमी को देखते हुए सरकार हॉस्टलों का फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों को छात्र आवास में बदलने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। नई नीति को अंतिम रूप देने से पहले छात्रों, अभिभावकों, PG संचालकों और संबंधित नागरिक एजेंसियों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रस्तावित ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के साथ चर्चा किए जाने की बात भी सामने आई है। पुराने छात्र इलाकों की इमारतों का ऑडिट सत्या निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के छात्र बहुल क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। साउथ कैंपस और मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि छात्र आवास के रूप में इस्तेमाल होने वाली इमारतों में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा। प्रस्तावित नीति लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले PG संचालकों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

PG सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 सितंबर को सुनवाई

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिलाPG इमारत ढहने से सात लोगों की मौत के बाद छात्रों के लिए संचालित पेइंग गेस्ट (PG), निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भवन सुरक्षा मानकों और उनके अनुपालन को लेकर व्यापक स्तर पर जांच की संभावना बनी है। PG और निजी हॉस्टलों के सुरक्षा ऑडिट की मांग सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त एमिकस क्यूरी ने दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास संचालित ढ्ढ निजी हॉस्टल और छात्र आवासों की सुरक्षा व्यवस्था का समयबद्ध ऑडिट कराने की सिफारिश की है। प्रस्तावित जांच में भवन के स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण के बीच समानता, मंजिलों की संख्या, बेसमेंट का उपयोग, संरचनात्मक मजबूती, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तथा आपातकालीन निकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जा सकती है। 10 सितंबर

को अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन हादसे से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संकेत दिया है कि इनका संबंध देशभर में भवन सुरक्षा से जुड़े व्यापक मामले से है। अदालत इस विषय पर 10 सितंबर को आगे सुनवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को अपने समक्ष लेने के विकल्प पर भी विचार किए जाने की संभावना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मांगी रिपोर्ट हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से इमारत के निर्माण और उसके उपयोग के लिए आवश्यक अनुमतियों की जांच करने को कहा है। यदि जांच में भवन नियमों का उल्लंघन अथवा किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। छात्रों की सुरक्षा पर उठे सवाल सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास का प्रमुख छात्र क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी ढत्रऔर निजी हॉस्टलों में रहते हैं। हादसे के बाद यह सवाल प्रमुखता से सामने आया है कि छात्रों को आवास उपलब्ध कराने वाली इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा और अन्य आवश्यक मानकों की नियमित जांच कितनी प्रभावी ढंग से की जा रही है। भवन सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावित परीक्षण में केवल इमारत की संरचनात्मक मजबूती ही नहीं, बल्कि अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास, बेसमेंट के उपयोग और स्वीकृत भवन योजना के अनुरूप निर्माण जैसे पहलुओं को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। हादसे ने निगरानी व्यवस्था पर उठाया सवाल सत्य निकेतन की घटना ने भवन सुरक्षा नियमों के पालन और उनकी निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ढत्रऔर निजी हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में संचालकों के साथ-साथ संबंधित स्थानीय निकायों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अब 10 सितंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर रहेगी। अदालत की आगे की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि भवन सुरक्षा के मुद्दे पर केवल दिल्ली तक सीमित कदम उठाए जाते हैं या देशभर में ढत्र निजी हॉस्टल और छात्र आवासों के लिए व्यापक सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर भी विचार किया जाता है।

टूटी कॉलोनियों के वोटरों को राहत, फॉर्म-8 से जुड़ सकेगा नाम

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनके मकान हाल के महीनों में अदालती आदेश के बाद तोड़े गए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता केवल मकान टूटने या पता बदलने के कारण मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होंगे। पात्र मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 भरकर अपना नाम नए पते पर मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। रजिस्टर्ड पते पर एन्यूमरेशन फॉर्म देने के निर्देश दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदाता सूची में दर्ज पते पर रहने वाले पात्र मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना प्रमुख शर्त है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 का हवाला देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास नहीं कर रहा है, तो वह पता बदलने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। नए पते पर जुड़ेगा

नाम फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन करने पर मतदाता का नाम नए निवास स्थान की संबंधित मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुराने निर्वाचन क्षेत्र की सूची से उसका नाम हटाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता केवल आवास टूटने या स्थान परिवर्तन के कारण मताधिकार से बाहर न हो। करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं को बांटे गए फॉर्म दिल्ली में 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर जाकर रक्क्रके तहत सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए। जिन मतदाताओं से बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म प्राप्त नहीं कर सके, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो घर पर नहीं मिले, पंजीकृत पते से दूसरे स्थान पर चले गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जिन्हें किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत पाया गया है। इसके अलावा बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिह्नित किए गए मामलों में भी संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। मताधिकार सुरक्षित रखने पर जोर चुनाव आयोग की इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बनाए रखना और स्थान परिवर्तन के मामलों में रिकॉर्ड को सही करना है। ऐसे मतदाताओं को अपने वर्तमान निवास स्थान के अनुसार फॉर्म-8 के जरिए नाम स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

छह महीने राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

नई दिल्ली, 8 सितंबर 2026। राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से लगातार छह महीने तक अपने खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। केंद्र सरकार के संशोधित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) नियंत्रण आदेश में ऐसे लाभार्थियों के कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और इसके बाद ई-केवाईसी के माध्यम से पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, साइलेंट राशन कार्ड और डुप्लिकेट लाभार्थियों के लिए जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत अस्थायी निष्क्रियता के बाद तीन महीने की ई-केवाईसी पुनवैर्धीकरण अवधि उपलब्ध रहेगी। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से SMART-PDS में लागू की जाएगी। किसके कार्ड पर हो सकती है कार्रवाई? ऐसे लाभार्थी इस प्रक्रिया के दायरे में आ सकते हैं, जिन्होंने पिछले छह महीनों में अपने राशन कार्ड पर मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ नहीं उठाया है। केंद्र के नियम के अनुसार राज्य सरकारों को ऐसे कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के बाद अगले तीन महीनों में फील्ड सत्यापन और ई-केवाईसी के जरिए लाभार्थी की पात्रता की दोबारा जांच करनी होगी। इसका उद्देश्य लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे कार्डों, डुप्लिकेट लाभार्थियों और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान कर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है। 1 केवाईसी से पुनवैर्धीकरण की सुविधा 1 अक्टूबर 2026 से SMART-PDS में सक्रिय होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर ऐसा राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द हो जाएगा। नियम में अस्थायी निष्क्रियता के उठाने की समयसीमा बताई गई है। उदाहरण के तौर पर झारखंड में 21 सितंबर 2026 तक राशन उठाने और उसके बाद 1 अक्टूबर से ऐसे कार्डों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया की जानकारी

अक्टूबर से SMART-PDS में लागू होगी व्यवस्था खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई SOP के तहत साइलेंट कार्डों की अस्थायी निष्क्रियता और उसके बाद ई-बाद लाभार्थी को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने का अवसर दिया गया है। 21 सितंबर की तारीख को लेकर राज्यवार स्थिति देखें कुछ राज्यों में छह महीने से राशन नहीं लेने वाले साइलेंट कार्डधारकों को 21 सितंबर तक राशन सामने आई है। इसलिए राशन कार्ड धारकों को यह समझना जरूरी है कि 21 सितंबर की तारीख सभी राज्यों के लिए समान अंतिम तारीख मानना उचित नहीं होगा। अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अथवा अधिकृत ढक्र दुकान से स्थानीय समयसीमा की पुष्टि करना बेहतर होगा। कार्ड निष्क्रिय हुआ तो क्या होगा? यदि किसी पात्र लाभार्थी का कार्ड इस प्रक्रिया के तहत अस्थायी रूप से निष्क्रिय होता है, तो उसके लिए ई-केवाईसी और फील्ड सत्यापन का अवसर रहेगा। संबंधित राज्य सरकार पात्रता की दोबारा जांच कर उचित कार्रवाई कर सकती है। इसलिए जिन परिवारों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है, उन्हें अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, इसकी भी पुष्टि करना जरूरी है। नियमित राशन लेने वालों को घबराने की जरूरत नहीं जो पात्र लाभार्थी नियमित रूप से PDS दुकान से अपना राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए इस विशेष साइलेंट कार्ड प्रक्रिया को लेकर सामान्यतः चिंता का कारण नहीं है। कार्रवाई मुख्य रूप से लंबे समय से अपने निर्धारित खाद्यान्न अधिकार का उपयोग नहीं करने वाले कार्डों की समीक्षा से जुड़ी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह भी बताया है कि 30 जुलाई 2026 तक राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी कवरेज 90.64 प्रतिशत थी। विभाग लगातार राशन कार्ड डेटा को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सोशल मीडिया के संदेशों पर न करें भरोसा राशन कार्ड को लेकर सोशल मीडिया पर कार्ड हमेशा के लिए रद्द होने जैसी सूचनाएं प्रसारित हो सकती हैं। ऐसे संदेशों पर बिना पुष्टि के भरोसा करने के बजाय लाभार्थियों को अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, अधिकृत राशन दुकान या सरकारी पोर्टल से कार्ड की वास्तविक स्थिति जांचनी चाहिए। खास तौर पर किसी अनजान व्यक्ति को आधार, राशन कार्ड या बैंक संबंधी दस्तावेज सौंपने से बचें। किसी भी ई-केवाईसी या सत्यापन प्रक्रिया को अधिकृत माध्यम से ही पूरा करें।

हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद में पहली FIR, अज्ञात लोगों पर SC-ST एक्ट

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

हल्द्वानी, 8 सितंबर 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुई जनसभा के बाद कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। नैनीताल पुलिस ने अधिवक्ता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता अंजू की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच के बाद आरोपियों की पहचान कर उन्हें नामजद किया जा सकता है। SC-ST एक्ट समेत इन धाराओं में केस पुलिस के मुताबिक दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(फ) का उल्लेख किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खड़गे की सभा के बाद रामलीला मैदान में कथित रूप से शुद्धिकरण अनुष्ठान किया गया और इससे अनुसूचित जाति समुदाय की गरिमा एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संदेश गया हालांकि, पुलिस जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्ष के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल प्राथमिकी में किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।8 अगस्त को हुई थी खड़गे की सभा खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद इसी स्थल पर कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान किए जाने की खबरों के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसे जातिगत भेदभाव से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई, जबकि इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विवाद बढ़ने के बाद खड़गे ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी। उन्होंने 2 सितंबर को राज्यसभा में दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। 80 शिकायतों का भी दावा नैनीताल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपलब्ध रिपोर्टों में करीब 80 शिकायतों का उल्लेख किया गया है। इन शिकायतों में मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने अंजू की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी की जांच एसपी क्राइम जगदीश चंद्र को सौंपे जाने की जानकारी दी है। जांच अधिकारी तथ्यों, उपलब्ध वीडियो सामग्री और शिकायतों में लगाए गए ।

थाली में भरोसा चाहिए, खतरा नहीं: खाद्य सुरक्षा पर अब कठोर निगरानी जरूरी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

भोजन मनुष्य की मूल आवश्यकता है, लेकिन जब भोजन ही स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने लगे तो यह केवल बाजार की अनियमितता नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, गलत लेबलिंग, समाप्त हो चुके उत्पादों की बिक्री और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार किए जाने को लेकर हाल के दिनों में जिस तरह कार्रवाई तेज हुई है, उसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर उपभोक्ता अपनी थाली में रखी वस्तु पर कितना भरोसा कर सकता है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े मौजूदा अभियान में देश के विभिन्न हिस्सों में निरीक्षण और छापेमारी बढ़ाई गई है। रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के बाद से हर वर्ष जांचे गए खाद्य नमूनों में लगभग पांचवां हिस्सा असुरक्षित या मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। पिछले तीन वर्षों में करीब 8,000 खाद्य लाइसेंस रद्द किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। ये आंकड़े केवल प्रशासनिक कार्रवाई का विषय नहीं हैं। इनके पीछे करोड़ों उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य और खाद्य व्यवस्था पर विश्वास जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता की थाली सबसे महत्वपूर्ण भारत जैसे विशाल देश में खाद्य कारोबार की निगरानी आसान काम नहीं है। एक ओर बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानदार, ढाबे, रेहड़ी-पटरी वाले, मिठाई की दुकानें, रेस्तरां और तेजी से बढ़ती ऑनलाइन डिलीवरी व्यवस्था है। खाद्य पदार्थ उत्पादन से लेकर ग्राहक की थाली तक पहुंचने के बीच अनेक स्तरों से गुजरता है। ऐसे में किसी एक संस्था या विभाग के भरोसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। केंद्र और राज्य की नियामक संस्थाओं, स्थानीय निकायों, खाद्य कारोबारियों और उपभोक्ताओं—सभी की जिम्मेदारी तय करनी होगी। हालिया कार्रवाई ने यह भी दिखाया है कि समस्या केवल पारंपरिक मिलावट तक सीमित नहीं है। गलत लेबल लगाना, समाप्ति तिथि में हेरफेर करना, भ्रामक स्वास्थ्य दावे करना और अस्वच्छ तरीके से खाद्य पदार्थों का भंडारण भी उतनी ही गंभीर चुनौतियां हैं। बेंगलुरु की कार्रवाई से उठे गंभीर सवाल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्रवाई ने चिंता बढ़ाई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई में विभिन्न स्थानों से कथित रूप से गलत लेबल वाले और समाप्त हो चुके खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। कुछ भंडारण केंद्रों पर ऐसी सामग्री मिलने की बात सामने आई, जिसे दोबारा लेबल करके बेचने का आरोप है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उपभोक्ता केवल पारंपरिक दुकानों से सामान नहीं खरीदता। ऑनलाइन किराना, क्विक-कॉमर्स और डार्क-स्टोर आधारित आपूर्ति व्यवस्था ने खरीदारी को तेज और सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन सुविधा की इस रफ्तार के साथ गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। यदि किसी उपभोक्ता तक समाप्त हो चुका खाद्य पदार्थ पहुंचता है तो जिम्मेदारी केवल उस दुकान की नहीं होनी चाहिए जिसने सामान बेचा। पूरी आपूर्ति श्रृंखला—निमार्ता, वितरक, भंडारण केंद्र और बिक्री मंच—की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। कानून है, अब प्रभावी क्रियान्वयन चाहिए भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक कानूनी और नियामक व्यवस्था मौजूद है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई खाद्य मानकों, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राधिकरण की हालिया सूचनाओं में गलत री-लेबलिंग और घटिया भंडारण जैसी गतिविधियों पर कार्रवाई का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन कानून की वास्तविक शक्ति उसके कागज पर लिखे होने में नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और निरंतर पालन में होती है। किसी दुकान या कारखाने पर छापा पड़ना खबर बन सकता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा की सफलता तब मानी जाएगी जब मिलावट करने वाला व्यक्ति या संस्था यह समझे कि नियम तोड़ना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं रहेगा। इसके लिए नियमित निरीक्षण, वैज्ञानिक जांच, त्वरित कानूनी कार्रवाई और दोष सिद्ध होने पर प्रभावी दंड आवश्यक है। केवल छापेमारी से नहीं सुधरेगी व्यवस्था सरकारों की कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए, लेकिन यह भी समझना होगा कि केवल छापेमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। खाद्य सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ानी होगी। नमूनों की जांच में लगने वाला समय कम करना होगा। जिलास्तर पर प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करनी होगी। छोटे कारोबारियों को भी स्पष्ट प्रशिक्षण और सरल दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। हर खाद्य कारोबारी अपराधी नहीं होता। कई छोटे दुकानदार और भोजन विक्रेता जानकारी के अभाव में भी नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए जहां जानबूझकर मिलावट और धोखाधड़ी हो, वहां कठोर दंड जरूरी है; लेकिन तकनीकी या पहली बार हुई छोटी त्रुटियों के मामलों में सुधार का अवसर भी दिया जाना चाहिए। यही संतुलित नियमन है। लेबल भी उपभोक्ता का अधिकार है आज बाजार में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग आकर्षक होती जा रही है। उत्पाद को स्वास्थ्यवर्धक, प्राकृतिक, पौष्टिक या विशेष गुणों वाला बताने वाले दावे उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए पैकेट पर लिखी जानकारी केवल विज्ञापन नहीं, बल्कि उपभोक्ता के निर्णय का आधार है। इसी संदर्भ में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा से संबंधित चेतावनी लेबल का मुद्दा भी चर्चा में है। इस प्रस्ताव को लेकर उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र के बीच मतभेद हैं तथा मामला न्यायिक विचार-विमर्श तक पहुंचा है। इस विषय में नीति बनाते समय वैज्ञानिक प्रमाण, उपभोक्ता हित और उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं—तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अंतिम प्राथमिकता नागरिकों के स्वास्थ्य की होनी चाहिए। उपभोक्ता भी बने जागरूक प्रहरी खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। उपभोक्ता को भी खरीदारी करते समय उत्पाद की समाप्ति तिथि, पैकेज की स्थिति, लेबल, लाइसेंस संबंधी जानकारी और आवश्यक चेतावनियों की जांच करनी चाहिए। संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने पर शिकायत करना भी नागरिक जिम्मेदारी है। यदि उपभोक्ता चुप रहता है तो खराब व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। शिकायतों का डिजिटल और स्थानीय स्तर पर सरल समाधान तंत्र होना चाहिए, ताकि सामान्य नागरिक बिना जटिल प्रक्रिया के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। खाद्य सुरक्षा आर्थिक विकास का भी हिस्सा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। खाद्य प्रसंस्करण, रेस्तरां, ऑनलाइन डिलीवरी और किराना कारोबार रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के बड़े क्षेत्र बन रहे हैं। लेकिन विकास की इस रफ्तार में गुणवत्ता से समझौता किया गया तो उसका नुकसान स्वास्थ्य व्यवस्था और उपभोक्ता विश्वास दोनों को उठाना पड़ेगा। भारत को ऐसा खाद्य बाजार बनाना होगा जहां कारोबार बढ़े, लेकिन मानक भी मजबूत हों। ईमानदार कारोबारी को नियमों का पालन करने में कठिनाई न हो और नियम तोड़ने वाले को बच निकलने का रास्ता न मिले।

निष्कर्ष

आज जरूरत किसी एक कंपनी, दुकानदार या उद्योग को कठघरे में खड़ा करने से अधिक एक ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाने की है जिसमें सुरक्षित भोजन नागरिक का अधिकार और खाद्य कारोबारी की अनिवार्य जिम्मेदारी बने।

खाद्य सुरक्षा अभियान को कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। निरीक्षण लगातार हों, प्रयोगशालाएं सक्षम हों, जांच पारदर्शी हो, दोषियों पर कार्रवाई समयबद्ध हो और उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। भारत की विकास यात्रा तभी सार्थक होगी जब आर्थिक प्रगति के साथ नागरिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो। देश की थाली में भोजन केवल स्वादिष्ट और सस्ता ही नहीं, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद भी होना चाहिए। क्योंकि अंततः किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि उसके बाजार की चमक से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के स्वस्थ जीवन से मापी जाती है।

सरसों तेल की कीमत का सच: लागत, बाजार और उपभोक्ता के भरोसे का सवाल

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

सरसों तेल भारतीय भोजन संस्कृति का केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रसोई का अभिन्न हिस्सा है। उत्तर भारत से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और देश के अनेक हिस्सों में सरसों के तेल का उपयोग पारंपरिक रूप से खाना पकाने के साथ-साथ विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं में भी होता रहा है। इसलिए जब सरसों तेल की कीमत में अंतर दिखाई देता है, तो उसका सीधा संबंध उपभोक्ता की जेब, खाद्य गुणवत्ता और बाजार में भरोसे से जुड़ जाता है। आज उपभोक्ता के सामने एक स्वाभाविक प्रश्न है—यदि सरसों खरीदकर उससे तेल तैयार करने में बीज, पेराई, श्रम, पैकिंग, परिवहन और अन्य खर्च जुड़ते हैं, तो बाजार में अलग-अलग कीमतों पर सरसों तेल कैसे उपलब्ध हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक लागत गणना से नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला और बाजार की वास्तविक परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। एक लीटर तेल की लागत का अनुमान कितना सही? एक सामान्य उदाहरण में यदि यह मान लिया जाए कि करीब तीन किलोग्राम सरसों से लगभग एक लीटर तेल प्राप्त होता है और सरसों का भाव 73 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो तीन किलोग्राम सरसों की लागत लगभग 219 रुपये बैठती है। इसके बाद पेराई, मशीन संचालन, श्रम तथा अन्य प्रक्रिया संबंधी खर्च जोड़ने पर लागत बढ़ती है। बोतल, ढक्कन, सील, लेबल और पैकिंग भी अंतिम कीमत का हिस्सा बनते हैं। इस प्रकार एक उदाहरणात्मक गणना में कुल खर्च 262 से 306 रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इसे हर उत्पादक की वास्तविक लागत नहीं माना जा सकता। तेल की प्राप्ति सरसों की किस्म, उसमें मौजूद तेल की मात्रा, नमी, गुणवत्ता, मशीन की दक्षता और पेराई की तकनीक पर निर्भर करती है। अर्थात तीन किलोग्राम सरसों से हर स्थिति में ठीक एक लीटर तेल ही निकलेगा, यह मान लेना

व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होगा। इसी तरह पेराई की लागत भी हर स्थान और हर उत्पादन इकाई में समान नहीं होती। खली भी उत्पादन अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा सरसों से तेल निकालने के बाद बचने वाली खली को अक्सर केवल उप-उत्पाद मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसका भी बाजार मूल्य होता है। पशु आहार और कृषि संबंधी उपयोग के कारण सरसों की खली बिकती है और इससे तेल उत्पादन की प्रभावी लागत कम हो सकती है। यदि उदाहरण के तौर पर तीन किलोग्राम सरसों से लगभग दो किलोग्राम खली मिलने और उसका मूल्य 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम मान लिया जाए, तो इससे 60 से 70 रुपये तक की राशि प्राप्त हो सकती है। इस आय को उत्पादन लागत से घटाने पर प्रभावी लागत का अनुमान लगभग 220 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन यह भी केवल उदाहरणात्मक गणना है। वास्तविक परिणाम उत्पादन तकनीक, खली की गुणवत्ता, स्थानीय बाजार और उसके मूल्य पर निर्भर करेगा। बाजार मूल्य को केवल कच्चे माल से नहीं समझा जा सकता यहीं से सरसों तेल की कीमत को लेकर बहस अधिक जटिल हो जाती है। किसी छोटे तेल उत्पादक और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी की लागत संरचना एक जैसी नहीं होती। बड़ा उत्पादक बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीद सकता है। उसे थोक खरीद में अलग दर मिल सकती है। आधुनिक मशीनरी से उत्पादन लागत कम हो सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रति लीटर कई खर्चों का भार घट सकता है। दूसरी ओर छोटे उत्पादक के सामने मशीन, श्रम, पैकिंग और वितरण की लागत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। इसके अलावा परिवहन, भंडारण, ब्रांडिंग, वितरण मार्जिन, खुदरा विक्रेता का मार्जिन, कर और बाजार की प्रतिस्पर्धा भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी छोटे स्तर की लागत गणना की सीधे तुलना किसी बड़े ब्रांड के खुदरा मूल्य से करना हमेशा उचित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाता। कम कीमत का अर्थ मिलावट नहीं खाद्य तेल के मामले में सबसे संवेदनशील मुद्दा मिलावट का है। बाजार में किसी उत्पाद की कीमत कम देखकर तत्काल उसे मिलावटी या नकली घोषित करना उचित नहीं है। कम कीमत के पीछे कई वैध कारोबारी कारण हो सकते हैं। इसी तरह केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा या अधिक कीमत को शुद्धता की गारंटी मान लेना भी सही दृष्टिकोण नहीं है। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन निर्धारित मानकों, लेबल संबंधी जानकारी और नियामकीय व्यवस्था के आधार पर किया जाना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां जिम्मेदार पत्रकारिता और जागरूक उपभोक्ता दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना प्रमाण किसी कंपनी या उत्पाद पर मिलावट का आरोप लगाना न तो निष्पक्ष पत्रकारिता है और न ही उपभोक्ता हित में। उपभोक्ता की सतर्कता सबसे जरूरी सरसों तेल खरीदते समय उपभोक्ता को केवल कीमत देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। पैकेज पर निमार्ता की जानकारी, मात्रा, बैच विवरण, निर्माण एवं समाप्ति तिथि तथा अनिवार्य लेबल संबंधी जानकारी देखना आवश्यक है। पैकिंग क्षतिग्रस्त हो या उत्पाद की जानकारी अस्पष्ट हो तो सावधानी बरतना उचित है। खुले और संदिग्ध स्रोत से खाद्य तेल खरीदने के बजाय विश्वसनीय विक्रेता से स्पष्ट लेबल वाला उत्पाद लेना उपभोक्ता के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर वास्तविक संदेह हो, तो अनुमान या अफवाह के बजाय संबंधित खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से शिकायत और परीक्षण की व्यवस्था का सहारा लिया जाना चाहिए। कीमत और गुणवत्ता के बीच संतुलन जरूरी सरसों तेल के मूल्य पर चर्चा करते समय एक और तथ्य समझना जरूरी है—किसी वस्तु की उत्पादन लागत और उसका बाजार मूल्य हमेशा समान नहीं होता। बाजार मूल्य मांग और आपूर्ति, कच्चे माल की कीमत, मौसम, फसल उत्पादन, भंडारण, परिवहन और प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होता है। सरसों की फसल अच्छी होने पर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ सकती है और कीमतों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर उत्पादन कम होने, परिवहन महंगा होने या मांग बढ़ने की स्थिति में कीमत बढ़ सकती है। इसलिए एक दिन या एक समय की कीमत के आधार पर पूरे बाजार की लागत संरचना का निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा। सरकार और नियामक संस्थाओं की भूमिका खाद्य तेल जैसे आवश्यक उत्पादों के मामले में पारदर्शी बाजार व्यवस्था बनाए रखना सरकार और नियामक संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले, इसके लिए बाजार निगरानी, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही उपभोक्ताओं को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। केवल सस्ता उत्पाद तलाशना ही पर्याप्त नहीं है। गुणवत्ता, पैकेजिंग, स्रोत और विश्वसनीयता को भी खरीद के निर्णय का हिस्सा बनाना होगा। संपादकीय दृष्टिकोण सरसों तेल की कीमत को लेकर उठ रहा सवाल वास्तव में केवल एक लीटर तेल की लागत का सवाल नहीं है। यह बाजार की पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और खाद्य सुरक्षा के व्यापक प्रश्न से जुड़ा है। यदि तीन किलोग्राम सरसों की कीमत 219 रुपये हो और उसके बाद पेराई, पैकिंग, श्रम, परिवहन तथा अन्य खर्च जुड़ते जाएं, तो उपभोक्ता के मन में कीमत को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस गणना से यह निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं कि इससे कम कीमत पर बिकने वाला प्रत्येक तेल संदिग्ध है। बड़े उत्पादकों की खरीद क्षमता, आधुनिक तकनीक, उत्पादन का पैमाना और वितरण व्यवस्था उनकी लागत को अलग बना सकती है। इसी प्रकार खली जैसे उप-उत्पाद से मिलने वाली आय भी वास्तविक लागत को प्रभावित करती है। इसलिए जरूरत किसी एक ब्रांड या व्यापारी पर संदेह करने की नहीं, बल्कि पूरे बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की है। उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो खाद्य तेल खरीद रहा है, वह निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। बाजार को यह भरोसा देना होगा कि कीमतों में अंतर के पीछे उचित आर्थिक कारण हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा। संपादकीय निष्कर्ष यही है कि सस्ता हमेशा मिलावटी नहीं होता और महंगा हमेशा शुद्ध होने की गारंटी नहीं देता। असली कसौटी गुणवत्ता, प्रमाणित मानक, पारदर्शी जानकारी और उपभोक्ता का भरोसा है। सरसों तेल की कीमत पर बहस को आरोप-प्रत्यारोप से निकालकर तथ्य, लागत और गुणवत्ता की पारदर्शी चर्चा तक ले जाना ही उपभोक्ता और बाजार—दोनों के हित में होगा। आखिरकार सवाल केवल यह नहीं कि एक लीटर तेल कितने रुपये में बिक रहा है; बड़ा सवाल यह है कि उस कीमत के बदले उपभोक्ता को गुणवत्ता और सुरक्षा का कितना भरोसा मिल रहा है।

सत्य निकेतन हादसा: इमारतें नहीं, हमारी निगरानी व्यवस्था भी कठघरे में

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में भवन ढहने की घटना ने एक बार फिर देश के सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे केवल एक दुर्घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। सात लोगों की मौत के बाद अब चर्चा केवल उस एक इमारत की नहीं, बल्कि देशभर में संचालित हो रहे निजी छात्रावासों, पीजी आवासों और किराये की उन इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है, जहां हजारों विद्यार्थी और युवा अपने भविष्य के सपने लेकर रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए देशभर में पीजी और छात्र आवासों की सुरक्षा को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना जताई है। अदालत में समयबद्ध सुरक्षा निरीक्षण और ऑडिट की मांग भी सामने आई है। यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखता है—क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही हमारी व्यवस्था जागेगी? हादसे के बाद जागने की परंपरा कब बदलेगी? भारत में भवन दुर्घटनाएं नई बात नहीं हैं। कभी पुरानी इमारत गिरती है, कभी अवैध निर्माण सामने आता है और कभी आग की घटना में लोगों की जान चली जाती है। हर घटना के बाद जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा और जिम्मेदारी तय करने की बातें होती हैं। कुछ समय बाद मामला सुर्खियों से गायब हो जाता है और व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट आती है। यही सबसे बड़ी चिंता है। सत्य निकेतन जैसी घटना को केवल निर्माण की तकनीकी खामी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे भवन की स्वीकृति, वास्तविक निर्माण, अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास और स्थानीय प्रशासन की निगरानी जैसे अनेक प्रश्न जुड़े हैं। यदि किसी भवन में नियमों का उल्लंघन वर्षों तक चलता रहा और वहां लोग रह भी रहे थे, तो यह केवल भवन मालिक की जिम्मेदारी का विषय नहीं रह जाता। निगरानी करने वाली व्यवस्था की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। छात्रावास और पीजी बने बड़ा सुरक्षा क्षेत्र देश के बड़े शहरों में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों युवा अपने घरों से दूर रहते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और अन्य महानगरों में पीजी तथा निजी छात्रावासों की मांग लगातार बनी हुई है। इस व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र संचालित करता है। कई जगह मकानों को छोटे-छोटे कमरों में बदलकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों या कामकाजी युवाओं को रखा जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब भवन की मूल संरचना और उसकी वास्तविक उपयोग क्षमता के बीच बड़ा अंतर हो। एक मकान जिसे सीमित संख्या में परिवारों के लिए बनाया गया था, यदि उसमें क्षमता से कई गुना अधिक लोग रहने लगें तो अग्नि सुरक्षा, विद्युत भार, पानी, स्वच्छता, सीढ़ियों और आपातकालीन निकास की व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए पीजी और छात्रावासों के लिए अलग और स्पष्ट सुरक्षा मानक समय की आवश्यकता हैं। कागज पर अनुमति, जमीन पर अलग तस्वीर किसी भी भवन के निर्माण की अनुमति और वास्तविक निर्माण में अंतर होना गंभीर प्रशासनिक चुनौती है। स्वीकृत नक्शे में कुछ और और मौके पर कुछ और निर्माण—यह स्थिति कई शहरों में विवाद का कारण बनती रही है। यहां तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भवन की स्वीकृति से लेकर निर्माण पूरा होने तक डिजिटल रिकॉर्ड, जियो-टैगिंग, नियमित निरीक्षण और ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे अधिकारी और नागरिक दोनों यह देख सकेंगे कि किसी भवन को किस उपयोग के लिए अनुमति मिली है और वास्तविक स्थिति क्या है। सिर्फ कागजी प्रमाणपत्र के आधार पर भवन को सुरक्षित मान लेना पर्याप्त नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की संभावित पहल महत्वपूर्ण सत्य निकेतन हादसे के बाद सर्वोच्च न्यायालय में पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है। अदालत के समक्ष देशव्यापी सुरक्षा दिशानिर्देशों की संभावना भी सामने आई है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रावास और पीजी केवल दिल्ली या किसी एक महानगर की समस्या नहीं हैं। देश के लगभग हर बड़े शिक्षा और औद्योगिक केंद्र में ऐसे आवास मौजूद हैं। यदि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम सुरक्षा मानक तय होते हैं तो इससे स्थानीय प्रशासन के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था बन सकती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि हर शहर की भवन संरचना, स्थानीय कानून और भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय मानकों के साथ स्थानीय स्तर पर उनका व्यावहारिक क्रियान्वयन भी जरूरी होगा। कार्रवाई केवल हादसे के बाद क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा ऑडिट हादसे के बाद ही क्यों हो? सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना के बाद कारण ढूंढना नहीं, बल्कि दुर्घटना होने से पहले खतरे को पहचानना होना चाहिए। पुराने भवनों, अत्यधिक भीड़ वाले पीजी, छात्रावासों और व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित आवासीय इमारतों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन भवनों की जांच प्राथमिकता पर होनी चाहिए जहां- - स्वीकृत क्षमता से अधिक लोग रह रहे हों। - अवैध अतिरिक्त निर्माण हुआ हो। - आपातकालीन निकास उपलब्ध न हो। - अग्निशमन उपकरण काम न कर रहे हों। - विद्युत वायरिंग असुरक्षित हो। - भवन की संरचनात्मक स्थिति संदिग्ध हो। - बेसमेंट या अन्य स्थानों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा हो। ऐसी जांच को केवल कागजी खानापूर्ति न बनाया जाए। जिम्मेदारी तय हो, लेकिन निष्पक्ष तरीके से किसी हादसे के बाद दोषी तलाशना आवश्यक है, लेकिन बिना जांच किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। स्वतंत्र तकनीकी जांच होनी चाहिए और उसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए। यदि भवन मालिक ने नियम तोड़े हैं तो कार्रवाई हो। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई हो। यदि निर्माण एजेंसी या अन्य पक्ष जिम्मेदार है तो उसकी जवाबदेही भी तय हो। व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकना होना चाहिए। सुरक्षा और affordability में संतुलन जरूरी पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा के नाम पर ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए जिनसे वैध और सामान्य आवास अत्यधिक महंगे हो जाएं। देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के युवा सस्ती आवास व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसलिए सुरक्षा मानकों को कठोर बनाते समय व्यावहारिकता भी जरूरी है। छोटे संचालकों को समयबद्ध सुधार का अवसर, तकनीकी मार्गदर्शन और स्पष्ट मानक दिए जा सकते हैं। लेकिन जहां जानबूझकर गंभीर उल्लंघन किया जा रहा हो, वहां किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब जरूरत स्थायी समाधान की सत्य निकेतन की घटना को एक और समाचार बनाकर भूल जाना इस त्रासदी के साथ न्याय नहीं होगा। यह अवसर है कि देश पीजी, छात्रावास और किराये की बहुमंजिला इमारतों के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा ढांचा तैयार करे। प्रत्येक शहर में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, नियमित संरचनात्मक ऑडिट, अग्नि सुरक्षा प्रमाणन, आपातकालीन निकास की अनिवार्य व्यवस्था और शिकायतों की त्वरित जांच जैसे कदम लागू किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निरीक्षण व्यवस्था पारदर्शी हो। भ्रष्टाचार या मिलीभगत के कारण सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ तो कोई भी कानून प्रभावी नहीं रह सकता। सत्य निकेतन हादसा हमें याद दिलाता है कि विकास केवल ऊंची इमारतों और बढ़ते शहरों का नाम नहीं है। विकास का असली अर्थ सुरक्षित जीवन, जवाबदेह प्रशासन और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा है। देश के विद्यार्थी और युवा हमारे भविष्य की पूंजी हैं। उन्हें ऐसी इमारतों में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जहां सुरक्षा केवल कागजों पर मौजूद हो। अब समय है कि हादसा होने के बाद कार्रवाई की व्यवस्था को हादसा होने से पहले रोकथाम की व्यवस्था में बदला जाए। यदि इस घटना के बाद देशभर के पीजी और छात्रावासों का वास्तविक, समयबद्ध और निष्पक्ष सुरक्षा ऑडिट होता है, दोषपूर्ण भवनों पर कार्रवाई होती है और स्पष्ट जवाबदेही तय की जाती है, तभी इस त्रासदी से कोई सार्थक सीख निकलेगी। आखिर किसी भी शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि उन इमारतों में रहने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं।

युद्ध की आग और तेल की कीमत: दुनिया के लिए बढ़ती आर्थिक चुनौती

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

दुनिया इस समय जिस दौर से गुजर रही है, उसमें युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित संकट नहीं रह गया है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी परस्पर जुड़ी हुई है कि किसी एक संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ते ही उसका प्रभाव ऊर्जा बाजार, व्यापार, परिवहन, महंगाई और आम नागरिक की जेब तक पहुंचने लगता है। मध्य-पूर्व में हालिया घटनाक्रम इसका ताजा उदाहरण है। 8 सितंबर को ईरान समर्थित हूती समूह द्वारा सऊदी अरब के दक्षिणी शहरों में किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को एक और गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया। सऊदी अधिकारियों के अनुसार हमलों में 73 लोग घायल हुए और ऊर्जा से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों में आग लगी। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि दुनिया पहले से ही ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन मार्गों को लेकर दबाव में है। लाल सागर और बाब-अल-मंदेब जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर संकट बढ़ता है तो उसका असर केवल मध्य-पूर्व तक नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लागत बढ़ती है और अंततः इसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। तेल केवल ईंधन नहीं, अर्थव्यवस्था की धुरी है कच्चा तेल आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारभूत जरूरतों में शामिल है। पेट्रोल और डीजल से लेकर विमानन ईंधन, परिवहन, रसायन, प्लास्टिक और अनेक औद्योगिक उत्पादों तक इसकी भूमिका है। इसलिए तेल की कीमत में लगातार वृद्धि का प्रभाव अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में दिखाई देता है। यदि कच्चा तेल महंगा होता है तो परिवहन लागत बढ़ सकती है। परिवहन महंगा होने का अर्थ है कि कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल और तैयार वस्तुओं की आवाजाही पर अतिरिक्त खर्च आएगा। इसका प्रभाव धीरे-धीरे खुदरा कीमतों तक पहुंच सकता है। आज वैश्विक बाजारों में तेल की कीमत लगभग 99 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। शेयर बाजारों में भी मध्य-पूर्व के तनाव को लेकर दबाव दिखाई दिया। यह केवल बाजार का उतार-चढ़ाव नहीं है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो केंद्रीय बैंकों के सामने महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती और कठिन हो सकती है। भारत के लिए चुनौती क्या है? भारत दुनिया के प्रमुख तेल आयातक देशों में है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अंतिम घरेलू कीमत केवल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के भाव से निर्धारित नहीं होती। इसमें विनिमय दर, कर, रिफाइनिंग, परिवहन और अन्य लागतें भी शामिल होती हैं। फिर भी लंबे समय तक महंगा कच्चा तेल आयात बिल बढ़ा सकता है और देश के व्यापार संतुलन पर दबाव डाल सकता है। रुपये की विनिमय दर पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे वातावरण में सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा और मूल्य स्थिरता दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मिसाइलों और सैन्य अभियानों की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन युद्ध का वास्तविक मानवीय और आर्थिक बोझ आम नागरिक उठाता है। मध्य-पूर्व में संघर्ष बढ़ने का अर्थ केवल सैनिक टकराव नहीं है। इससे स्थानीय नागरिकों का विस्थापन, रोजगार का संकट और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है। हालिया संघर्षों के बीच यमन में हजारों लोगों के विस्थापित होने की जानकारी भी सामने आई है। दूसरी ओर, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले नागरिक महंगे ईंधन, बढ़ती परिवहन लागत और संभावित महंगाई के रूप में इस संघर्ष की कीमत चुका सकते हैं। यही कारण है कि युद्ध को केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखना खतरनाक है। हर युद्ध के पीछे मानवीय पीड़ा और आर्थिक अस्थिरता का एक लंबा साया होता है। कूटनीति ही स्थायी रास्ता आज विश्व समुदाय के सामने सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि संघर्ष को और फैलने से रोका जाए। सैन्य जवाब कभी-कभी तत्काल सुरक्षा का माध्यम हो सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। मध्य-पूर्व में किसी भी नए मोर्चे के खुलने से पहले अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह समझना होगा कि ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पूरी दुनिया की साझा चिंता है। तेल की कीमतों में उछाल पहले ही वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में यदि संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर महंगाई, ब्याज दरों और निवेश पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा पर भारत को बढ़ानी होगी तैयारी भारत को वर्तमान संकट को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। देश को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक परिवहन और घरेलू ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना होगा। सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों का विस्तार केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है। यह भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव का असर गरीब और मध्यम वर्ग पर न्यूनतम पड़े। ऊर्जा कीमतों की स्थिरता महंगाई नियंत्रण की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए। मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया को बता रहा है कि युद्ध की कीमत केवल युद्धभूमि पर नहीं चुकाई जाती। उसकी कीमत बाजार, उद्योग, परिवहन और अंततः आम परिवार भी चुकाता है। आज आवश्यकता किसी पक्ष के समर्थन या विरोध से आगे बढ़कर शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की है। ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को संघर्ष का हथियार बनने से रोकना वैश्विक समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। भारत के लिए यह समय सतर्क रहने के साथ अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत करने का है। बाहरी संकटों से पूरी तरह बचना संभव नहीं, लेकिन उनके प्रभाव को सीमित करने की तैयारी अवश्य की जा सकती है। युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। संवाद कठिन हो सकता है, लेकिन विनाश से बेहतर है। आज दुनिया को हथियारों की ताकत से अधिक कूटनीति की शक्ति की आवश्यकता है।

कावेरी जल छोड़ने का आदेश बेतुका: चालुवरायस्वामी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री एन. चालुवरायस्वामी ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) द्वारा तमिलनाडु को प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस आदेश को मौजूदा जल उपलब्धता की स्थिति के विपरीत बताते हुए कहा कि राज्य सरकार आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के अधिकारियों ने उहफ्ठ की बैठक में राज्य की वास्तविक जल स्थिति को विस्तार से रखा था। उनके अनुसार, तमिलनाडु ने प्रतिदिन 17,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी, जबकि पिछले एक सप्ताह से कावेरी बेसिन में जल प्रवाह में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। चालुवरायस्वामी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिदिन 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ना भी कर्नाटक के लिए अत्यंत कठिन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपलब्ध पानी और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष लगातार संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष रख रही है। CWMA बैठक के बाद कानूनी विकल्पों पर विचार मंत्री ने बताया कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) की बैठक सोमवार दोपहर आयोजित होने वाली है और राज्य सरकार इस बैठक के फैसले पर भी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का मानना है कि कावेरी जल बंटवारे से संबंधित निर्णय लेते समय जमीनी परिस्थितियों, जलाशयों में उपलब्ध पानी और राज्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीने के पानी और किसानों की जरूरतों पर जोर राज्य के जलाशयों में पानी की स्थिति का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि उपलब्ध जल भंडारण का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा पेयजल आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किसानों की फसलों की जरूरतों के अनुसार पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री के अनुसार, चित्रदुर्ग क्षेत्र में पेयजल संकट से बचने के लिए नदी के माध्यम से जल आपूर्ति और आवश्यक जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जलाशयों से तालाबों और अन्य जल स्रोतों को भरने के लिए भी नियंत्रित तरीके से पानी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि आम लोगों और पशुओं को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। पदयात्रा पर विपक्ष को घेरा इस दौरान चालुवरायस्वामी ने भाजपा की पदयात्रा को लेकर विपक्षी नेताओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता पदयात्रा के राजनीतिक संदर्भ से परिचित है। मंत्री ने पदयात्रा में शामिल नेताओं के स्वास्थ्य का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी सभी प्रतिभागी स्वस्थ रहेंगे। कावेरी जल विवाद पर राज्य सरकार अब CWMA की बैठक के परिणाम के बाद अपनी अगली रणनीति तय कर सकती है। सरकार का कहना है कि कर्नाटक के पेयजल, कृषि और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के हितों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध प्रशासनिक और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

सेवा से जरूरतमंदों को मिला सहारा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है—इसी भावना को साकार करते हुए जेसीआई बेंगलुरु कॉस्मो की टीम उमंग ने KIMS हॉस्पिटल में जरूरतमंद मरीजों एवं उनके परिजनों की सहायता के लिए 8 व्हीलचेयर और 51 स्टील की पानी की बोतलें भेंट कीं। इस सेवा पहल का उद्देश्य अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले जरूरतमंद मरीजों की सुविधाओं में सहयोग प्रदान करना था। भेंट की गई व्हीलचेयर से ऐसे मरीजों की आवाजाही में सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है। वहीं, स्टील की बोतलों के वितरण से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। आयोजकों के अनुसार, सेवा का यह छोटा प्रयास जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी सहारा बन सकता है। कार्यक्रम ने समाज में सहयोग, संवेदनशीलता और मानवता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। इस अवसर पर अंकित चावत एवं संचिता मेहता की गरिमामयी उपस्थिति रही। सेवा कार्यक्रम में टीम उमंग की प्रेसिडेंट जेसी ललिता बोथरा, सेक्रेटरी जेसी रीना गांधी, जॉइंट सेक्रेटरी जेसी दीपक जैन, कोषाध्यक्ष जेसी दीपिका जैन, वीपी-सीडी जेसी ममता मेहता, जोन ऑफिसर मोनिका कुमट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मनीष मेहता एवं पर्व मेहता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रूपचंद कुमट तथा आशिक पिरगल सहित टीम उमंग के सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। जेसीआई बेंगलुरु कॉस्मो टीम उमंग की यह पहल समाज में सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाने वाली प्रेरणादायी कोशिश के रूप में देखी जा रही है। समाचार प्रेषकः रूपचंद जैन कुमट, बेंगलुरु

कावेरी संकट पर दिल्ली में कर्नाटक की दलील

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। कर्नाटक में जल संकट और किसानों के हितों की रक्षा को लेकर राज्य सरकार ने कावेरी जल विवाद के मुद्दे पर अपनी स्थिति मजबूती से रखने की तैयारी की है। जल संसाधन मंत्री एन. चालुवरायस्वामी ने कहा कि राज्य में उपलब्ध पानी की वास्तविक स्थिति को कावेरी जल नियंत्रण समिति (CWRC) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में पानी की कमी और मौजूदा जल भंडारण की स्थिति से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की एक टीम पहले ही दिल्ली रवाना हो चुकी है। सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) ने भी इस विषय पर महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। चालुवरायस्वामी के अनुसार, कर्नाटक सरकार का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का आकलन करते हुए किसानों और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना पक्ष प्राधिकरण के सामने रखना है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु द्वारा बार-बार न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने का मुद्दा भी चर्चा में रहा है। मंत्री के अनुसार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और जल उपयोग से जुड़े तथ्यों को राज्य की दलीलों के दौरान उचित रूप से रखा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह भी पक्ष रखा जाएगा कि उपलब्ध पानी का उपयोग, कृषि आवश्यकताएं और जलाशयों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए। किसानों के हित सर्वोपरि जल संसाधन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हेमावती बेसिन में झीलों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा हरंगी और कृष्णराज सागर (KRS) जलाशयों के माध्यम से जरूरत के अनुसार पानी छोड़े जाने की व्यवस्था भी की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार जल संकट की चुनौती के बीच किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठा रही है और कावेरी जल प्रबंधन से जुड़े सभी मंचों पर कर्नाटक के हितों को मजबूती से प्रस्तुत करेगी।

सरकारी दबाव से मुक्त होकर दें अनुमति: विजयेंद्र

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

ओल्ड दारोजी (संदूर), 8 सितंबर 2026। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने आरोप लगाया है कि बल्लारी जिले के प्रशासन पर राज्य सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर पदयात्रा के अंतिम कार्यक्रम के लिए अनुमति देने की मांग की। ओल्ड दारोजी में मीडिया से बातचीत करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बल्लारी में आयोजित पदयात्रा के अंतिम कार्यक्रम को अनुमति देने के मामले में प्रशासन विचार-विमर्श कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह संबंधित अधिकारियों और लोगों से बातचीत करेंगे। विजयेंद्र के अनुसार, राज्य और देशभर के लोग इस पदयात्रा को देख रहे हैं और यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक और संगठन को अपनी मांगों तथा मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने का अधिकार है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि अनुमति देने के निर्णय में किसी भी प्रकार के सरकारी या राजनीतिक दबाव को प्रभावी नहीं होने दिया जाना चाहिए। विजयेंद्र ने कहा कि यह संघर्ष जनता से जुड़े मुद्दों का संघर्ष है और लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने विश्वास जताया कि पदयात्रा के अंतिम कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन को निष्पक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

MLC नामांकन पर साधु कोकिला बोले, विधान सौध में बढ़ी हलचल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। कन्नड़ फिल्म जगत के लोकप्रिय कलाकार, निर्देशक और संगीतकार साधु कोकिला ने मंगलवार को विधान सौध में मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नाटक विधान परिषद के नामांकित सदस्य (Nominated MLC) के रूप में अपने चयन से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उनके विधान सौध पहुंचने और मीडिया से बातचीत के बाद राजनीतिक एवं फिल्मी हलकों में उनके संभावित नामांकन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साधु कोकिला कर्नाटक चालनचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। 2026 के बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से जुड़े आधिकारिक आयोजक विवरण में भी उनका नाम अकादमी के अध्यक्ष और लोकप्रिय फिल्म कलाकार के रूप में दर्ज है। फिल्म जगत से विधान परिषद तक चर्चा साधु कोकिला लंबे समय से कन्नड़ सिनेमा से जुड़े रहे हैं। वे अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक और निमार्ता के रूप में काम कर चुके हैं। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उन्होंने कन्नड़ फिल्म उद्योग में अभिनय के साथ-साथ संगीत निर्देशन और फिल्म निर्देशन में भी अपनी पहचान बनाई है। उनका राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव भी नया नहीं है। इससे पहले वे विधान सौध के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने की बात कह चुके हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें कर्नाटक चालनचित्र अकादमी की जिम्मेदारी दी। नामांकन को लेकर पहले भी थी चर्चा कर्नाटक विधान परिषद की नामांकन श्रेणी में साधु कोकिला के नाम को लेकर पहले भी राजनीतिक हलकों में चर्चा सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट में उन्हें परिषद की नामांकन श्रेणी के संभावित दावेदारों में शामिल बताया गया था। हालांकि, संभावित दावेदारी और आधिकारिक नामांकन दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कर्नाटक विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार परिषद में कुल 75 सीटों की व्यवस्था है। अगस्त 2026 की पार्टी स्थिति में पांच सीटें रिक्त दर्ज थीं। ऐसे में नामांकन श्रेणी की नियुक्तियां राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आधिकारिक अधिसूचना पर रहेगी नजर साधु कोकिला के मीडिया से बातचीत करने के बाद उनके नामांकन को लेकर चचाएं जरूर तेज हुई हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के नामांकित एमएलसी बनने की स्थिति को अंतिम रूप से आधिकारिक सरकारी अधिसूचना और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया से ही प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए फिलहाल उनके बयान को नामांकन से जुड़े घटनाक्रम पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना उचित होगा। आधिकारिक अधिसूचना सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उनका चयन किस प्रक्रिया और किस औपचारिक निर्णय के तहत हुआ है। साधु कोकिला की संभावित राजनीतिक भूमिका को लेकर अब फिल्म जगत के साथ-साथ कर्नाटक की राजनीति में भी दिलचस्पी बढ़ गई है। यदि उनका नामांकन आधिकारिक रूप से होता है, तो यह कन्नड़ फिल्म एवं सांस्कृतिक क्षेत्र से विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा।

ट्रांसपोर्ट दिवस पर रक्तदान-स्वास्थ्य शिविर

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (ABTA), बेंगलुरु, कर्नाटक के तत्वावधान में रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जयसूर्या ग्रैंड कन्वेंशन हॉल, तुमकुरु रोड, टीसीआई बस स्टॉप, मादावारा पोस्ट, बेंगलुरु में आयोजित हुआ। शिविर का आयोजन इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड अपोलो के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। बताया गया कि ABTA पिछले चार वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस दौरान परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम में मादावरा क्षेत्र के मादकयनहल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर भानु प्रकाश ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर पुलिस स्टेशन सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों का शाल, माला, पेटा और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर परिवहन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट बुकिंग की व्यवस्था को लेकर नियमों और नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रकाश पांडे को दक्षिण भारत के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। उपस्थित सदस्यों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। आयोजकों ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इस प्रकार की गतिविधियों को आगे भी जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से भोजन ग्रहण किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस समारोह का समापन हुआ।

भगवान की परीक्षा नहीं, गुणों की पहचान जरूरी : वीर सागर जी महाराज

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। निर्यापक श्रमण श्री 108 वीर सागर जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन में श्रद्धालुओं को भगवान की पहचान और सच्ची श्रद्धा के स्वरूप पर गहन चिंतन का संदेश दिया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या सीमित ज्ञान वाला मनुष्य सर्वज्ञ एवं पूर्ण परमात्मा की परीक्षा कर सकता है? साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि विवेक छोड़कर किसी को भी भगवान मान लेना सच्ची श्रद्धा नहीं है। महाराज श्री ने कहा कि किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए परीक्षक के पास संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान और योग्यता होना आवश्यक है। जब सामान्य जीव स्वयं राग, द्वेष और मोह जैसी प्रवृत्तियों से प्रभावित है, तो वह सर्वज्ञ एवं वीतराग परमात्मा की परीक्षा लेने की स्थिति में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान की परीक्षा करने के बजाय शास्त्रों में बताए गए उनके गुणों और सिद्धांतों के आधार पर आराध्य की पहचान करना अधिक महत्वपूर्ण है। चमत्कार और वैभव को न मानें दिव्यता का प्रमाण

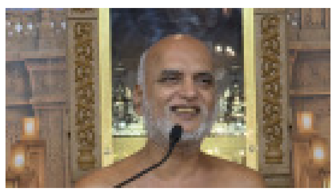

प्रवचन में आचार्य समंतभद्र देव द्वारा रचित आप्त परीक्षा और आप्त मीमांसा के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए वीर सागर जी महाराज ने कहा कि किसी व्यक्ति का बाहरी वैभव, सिंहासन, चमत्कार, देवों की उपस्थिति अथवा अलौकिक प्रदर्शन उसकी वास्तविक दिव्यता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि संसार में शक्ति, संपत्ति और विभिन्न प्रकार के प्रभाव का प्रदर्शन करने वाले अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन इन बाहरी विशेषताओं के आधार पर किसी को परमात्मा मान लेना उचित नहीं है। सच्ची दिव्यता का मूल्यांकन उसके आंतरिक गुणों और आत्मिक पूर्णता से होना चाहिए। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता प्रमुख कसौटी महाराज श्री ने सच्चे देव की पहचान के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण बताते हुए वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को प्रमुख आधार बताया। उनके अनुसार जिस आत्मा में राग-द्वेष का पूर्ण अभाव हो, जो सर्वज्ञ हो और समस्त जीवों के कल्याण के लिए निष्पक्ष एवं हितकारी उपदेश दे, वही वास्तविक अर्थों में आराध्य होने के योग्य है। उन्होंने श्रद्धालुओं को समझाया कि परमात्मा भय, क्रोध, मोह, लोभ और सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें सांसारिक सुरक्षा, अस्त्र-शस्त्र अथवा भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की वास्तविक महत्ता किसी बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उनकी वीतरागता और आत्मिक पूर्णता में निहित है। कर्म सिद्धांत को समझने का आान वीर सागर जी महाराज ने कर्म सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीव को जीवन में मिलने वाले सुख-दुःख और विभिन्न परिस्थितियां उसके कर्मों से जुड़ी होती हैं। इसलिए केवल सांसारिक लाभ की अपेक्षा से धार्मिक आस्था रखना श्रद्धा के वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे लौकिक लाभ और चमत्कारों के आकर्षण में पड़ने के बजाय सत्य, विवेक और शास्त्रसम्मत सम्यक श्रद्धान को अपनाएं। धार्मिक जीवन में विवेक का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को आत्मचिंतन, सदाचार और आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ाए। अंधविश्वास से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण श्रद्धा का संदेश प्रवचन के अंत में महाराज श्री ने श्रद्धालुओं का आान किया कि वे अंधविश्वास से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण श्रद्धा का मार्ग अपनाएं और वीतराग परमात्मा के गुणों का चिंतन एवं आराधना करें। उनके अनुसार सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर या चमत्कारों में विश्वास करने का नाम नहीं, बल्कि परमात्मा के गुणों को समझकर अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि शास्त्रसम्मत दृष्टि, विवेकपूर्ण श्रद्धा और आत्मकल्याण की भावना ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन की ओर ले जाने वाली सार्थक दिशा है। समाचार प्रेषकः विपिन कुमार जैन बेंगलुरु

ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने हरिप्रसाद से की मुलाकात

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। ईसाई समुदाय के विभिन्न मुद्दों और सामाजिक विषयों को लेकर बिशपों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी.के. हरिप्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान समुदाय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में राइट रेवरेन्ड हेमचंद्र कुमार, बिशप मार्टिन बोरगावी, बिशप विंसेंट विनोद कुमार, डॉ. रवि मणि तथा प्रशांत जट्टाना, इंडियन क्रिश्चियन

फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष, सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके अलावा डॉ. प्रदीप डी. मेलो, इंडियन क्रिश्चियन फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष, पीटर दांती, राज्य सचिव तथा संगठन से जुड़े अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने भी बैठक में सहभागिता की। प्रतिनिधिमंडल ने समुदाय से संबंधित विभिन्न विषयों को हरिप्रसाद के समक्ष रखा। बैठक में सामाजिक सरोकारों, समुदाय की आवश्यकताओं और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने इन विषयों पर सकारात्मक पहल और आवश्यक सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

बैठक को समुदाय और राजनीतिक नेतृत्व के बीच संवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए सभी मुद्दों पर किसी ठोस निर्णय या घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकारी बंगले पर विवाद, बैयरथी सुरेश बोले—महादेवप्पा मेरे लिए पिता समान

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सरकारी आवास को लेकर परिवहन मंत्री बैयरथी सुरेश और पूर्व मंत्री डॉ. एच.सी. महादेवप्पा के बीच कथित विवाद को लेकर उठे राजनीतिक चचाओं पर मंगलवार को मंत्री ने विधानसभा परिसर स्थित विधान सौध में मीडिया के सामने अपना पक्ष स्पष्ट किया। सुरेश ने कहा कि उनके और महादेवप्पा के बीच किसी तरह का व्यक्तिगत विवाद नहीं है और मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। उनके अनुसार, संबंधित सरकारी आवास खाली था, इसलिए उसे उनके नाम आवंटित किया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब आवास का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है तो इसे विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है। महादेवप्पा को बताया पिता समान बैयरथी सुरेश ने डॉ. एच.सी. महादेवप्पा के साथ अपने संबंधों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि महादेवप्पा उनके लिए वरिष्ठ नेता होने के साथ-साथ पिता समान हैं। सुरेश के अनुसार, वे महादेवप्पा के घर कई बार भोजन के लिए जा चुके हैं और उनके साथ उनके

पारिवारिक एवं आत्मीय संबंध हैं। ऐसे में सरकारी आवास को लेकर दोनों के बीच किसी प्रकार के व्यक्तिगत टकराव की बात सही नहीं है। क्रेसेंट रोड के सरकारी आवास को लेकर उठा मामला विवाद बेंगलुरु के क्रेसेंट रोड स्थित सरकारी बंगले से जुड़ा है, जिसमें डॉ. महादेवप्पा मंत्री पद पर रहते हुए रह रहे थे। बाद में यह आवास बैयरथी सुरेश को आवंटित किए जाने की बात सामने आई। इसी के बाद आवास खाली करने और उसके नवीनीकरण को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महादेवप्पा के आवास में रहते हुए ही कुछ नवीनीकरण कार्य शुरू होने की बात सामने आई थी। इसको लेकर सवाल उठे कि पुराने आवंटी के आवास खाली करने से पहले ही मरम्मत एवं रंग-रोगन का काम क्यों शुरू किया गया। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग पक्षों से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। महादेवप्पा ने भी रखा अपना पक्ष पूर्व मंत्री डॉ. एच.सी. महादेवप्पा ने कहा है कि वे अब सरकार में मंत्री नहीं हैं और सरकारी आवास खाली करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में उनका अपना मकान नहीं है और वे किराये के मकान की तलाश कर रहे हैं। उपयुक्त आवास मिलते ही वे सरकारी बंगला खाली कर देंगे। महादेवप्पा ने यह भी संकेत दिया कि आवास के आवंटन को लेकर उन्हें कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है और वर्तमान मंत्री को सरकारी कामकाज के लिए आवास की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और आपसी सम्मान के महत्व पर भी जोर दिया। विवाद को व्यक्तिगत रंग देने से सुरेश का इनकार बैयरथी सुरेश के ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि वे इस मामले को व्यक्तिगत विवाद के रूप में प्रस्तुत किए जाने से असहमत हैं। उनका कहना है कि सरकारी आवास का आवंटन प्रशासनिक निर्णय है और इसमें उनके तथा महादेवप्पा के बीच किसी तरह की व्यक्तिगत कटुता नहीं है। सरकारी आवास को लेकर उठे इस प्रकरण ने राजनीतिक गलियारों में जरूर चर्चा पैदा की है, लेकिन दोनों नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट है कि मामले को व्यक्तिगत टकराव के बजाय सरकारी आवास के आवंटन और हस्तांतरण से जुड़े प्रशासनिक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। आवास खाली करने और नवीनीकरण से जुड़े वास्तविक प्रशासनिक निर्णयों की स्थिति संबंधित सरकारी रिकॉर्ड से ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

12 सितंबर को सजेगी एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। बेंगलुरु के उत्तरहल्ली स्थित ओंकार हिल्स के सभागार में 12 सितंबर, शनिवार को एक शाम बाबा रामदेव जी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। श्री मेघवाल समाज ट्रस्ट बेंगलुरु के तत्वावधान में होने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के भजनों और भक्ति संगीत का आनंद लेंगे।

कार्यक्रम का आयोजन आचार्य श्री ओम जी एवं आचार्य श्री मधुसूदनानंद पुरीजी के सानिध्य में किया जाएगा। इस अवसर पर गायक राकेश भजनों की प्रस्तुति देंगे।

मुख्य अतिथि को दिया आमंत्रण

कार्यक्रम की तैयारियों के तहत ट्रस्ट से जुड़े प्रकाश, धाराराम, अर्जुनलाल और प्रदीप ने महेंद्र मुणोत के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर उन्हें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

आयोजकों ने बताया कि भजन संध्या का उद्देश्य समाज के लोगों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना तथा बाबा रामदेव जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना को मजबूत करना है। समाचार प्रेषकः उपेन्द्र कुमार, बेंगलुरु

बिहार में बाढ़ का कहर, 22 लाख से अधिक प्रभावित

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

पटना, 8 सितंबर 2026। बिहार में लगातार बढ़ते नदी जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। गंगा समेत कई प्रमुख नदियों के उफान से राज्य के 12 जिलों में 22.42 लाख से अधिक लोगों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। पटना के गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर जाने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर गंगा के अलावा गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पटना सहित कई क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन ने

संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव अभियान तेज बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन और आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से राहत व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभावित क्षेत्रों में 190 सामुदायिक रसोई संचालित की जा रही हैं, जबकि आवागमन और राहत कार्यों के लिए 1,429 नावें तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीमें भी तैनात हैं। 12 जिलों में बाढ़ का असर

बाढ़ से प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय और अरवल शामिल बताए गए हैं। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर, तटबंधों और निचले क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बारिश की संभावना से बढ़ी चिंता

मौसम विभाग की ओर से बिहार के कई हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में नदियों के जलस्तर में और वृद्धि होने की आशंका के बीच प्रशासन के सामने राहत एवं बचाव व्यवस्था को लगातार सक्रिय रखने की चुनौती बनी हुई है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रभावित लोगों से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकताओं को बड़ी सौगात, मानदेय 50% बढ़ा

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

अयोध्या, 8 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं के लिए मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह, जबकि सहायिकाओं का मानदेय 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में नव-नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के दौरान यह घोषणा की। कार्यक्रम में अयोध्या मंडल सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकताओं और सहायिकाओं की भागीदारी रही। राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ऐलान

मानदेय बढ़ाने के साथ मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर की घोषणा भी की। इसके अलावा अतिरिक्त साड़ी के लिए 500 रुपये की राशि देने की जानकारी भी सामने आई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बाल विकास और पोषण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकताओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। बच्चों के पोषण और प्रारंभिक देखभाल में अहम भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता तथा महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी सरकारी योजनाओं को परिवारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों और माताओं तक विभिन्न सरकारी सेवाएं पहुंचती हैं। ऐसे में कार्यकताओं के मानदेय में वृद्धि को उनके कार्य की जिम्मेदारियों और बढ़ती जरूरतों के संदर्भ में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं को मानदेय तथा राज्यों की ओर से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए

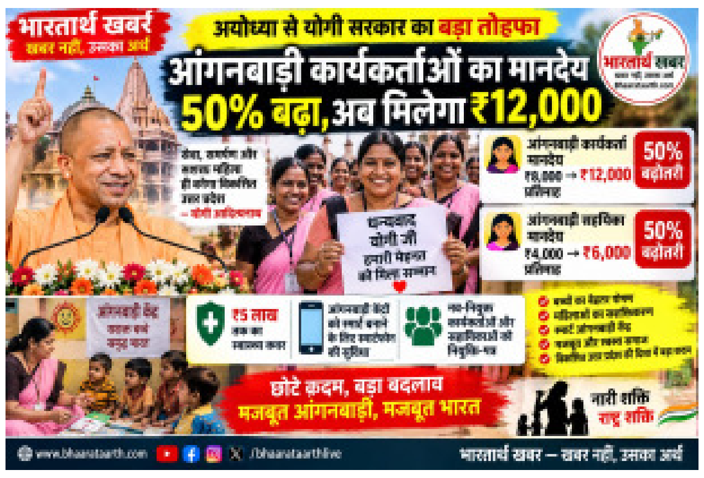

जाने की व्यवस्था है। राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से अतिरिक्त राशि अलग-अलग स्तर पर दी जाती है। तकनीक से जुड़ेंगे आंगनबाड़ी केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्मार्टफोन और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से केंद्रों की गतिविधियों, लाभार्थियों और योजनाओं से संबंधित जानकारी को बेहतर ढंग से दर्ज करने तथा समय पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी होने से निगरानी और आंकड़ों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। हालांकि इसके लिए कार्यकताओं को पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा। नव-नियुक्त कार्यकताओं को नियुक्ति-पत्र अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नव-नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति-पत्र भी वितरित किए गए। इससे चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकताओं और मेधावी बच्चों को सम्मानित किए जाने की भी जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी व्यवस्था में कार्यरत महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बढ़ा मानदेय, अब सुविधाओं की भी जरूरत सरकार की घोषणा से कार्यकताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन आंगनबाड़ी व्यवस्था की वास्तविक मजबूती केवल मानदेय बढ़ाने से नहीं होगी। केंद्रों पर पर्याप्त भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पोषण सामग्री, बच्चों के लिए आवश्यक संसाधन और सुरक्षित कार्य वातावरण भी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही कार्यकताओं पर बढ़ती प्रशासनिक और डिजिटल जिम्मेदारियों के अनुरूप प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। आंगनबाड़ी व्यवस्था सीधे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक विकास से जुड़ी है। इसलिए इस क्षेत्र में किए गए प्रत्येक निवेश का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। जमीनी क्रियान्वयन होगी असली कसौटी मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी घोषणाओं का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा जब इनका समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन हो। भुगतान में देरी, संसाधनों की कमी या अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अयोध्या से की गई घोषणा से प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि बढ़ी हुई सहायता के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में कितना सुधार आता है।

आईसीएमआर प्रायोजित एआई-एमएल कार्यशाला सफल

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरु के एमसीए एवं बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रायोजन तथा सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के सहयोग से कोड से क्लिनिक तकः एआई/एमएल आधारित बीमारी का अनुमान, डायग्नोस्टिक सिस्टम और सटीक इलाज (प्रिसिजन थेराप्यूटिक्स) विषय पर हैंड्स-ऑन कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जैव-चिकित्सा अनुसंधान, रोग पूर्वानुमान, आधुनिक डायग्नोस्टिक प्रणालियों तथा प्रिसिजन थेराप्यूटिक्स के क्षेत्र में व्यावहारिक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना था।

कार्यक्रम में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के महानिदेशक डॉ. बी.के. दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर चिल्ड्रन्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ. एस.एन.वी.एल. नरसिम्हा राजू, कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राकेश एस.जी., कार्यशाला के संयोजक डॉ. बी.के. मंजुनाथ तथा आयोजन सचिव एवं एमसीए विभाग के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष डॉ. धरमवीर सहित अन्य शिक्षाविद एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में एआई और मशीन लर्निंग की बढ़ती उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली, रोगों की प्रारंभिक पहचान, आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक और व्यक्तिगत उपचार की संभावनाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

विभिन्न व्यावहारिक सत्रों में विद्यार्थियों और शोधार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की तथा एआई/एमएल आधारित स्वास्थ्य अनुसंधान के तकनीकी पहलुओं को समझने का अवसर प्राप्त किया।

सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के सहयोग को इस शैक्षणिक एवं अनुसंधानपरक पहल की महत्वपूर्ण कड़ी बताया गया। फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिभागियों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ समाजोपयोगी अनुसंधान और स्वास्थ्य क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला।

आयोजकों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान का समन्वय भविष्य के स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। ऐसे अंतर-विषयक कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही अनुसंधान आधारित तकनीकी समाधानों को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कार्यशाला के सफल आयोजन ने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के बीच एआई आधारित चिकित्सा अनुसंधान और प्रिसिजन थेराप्यूटिक्स के प्रति रुचि एवं संभावनाओं को नई ऊर्जा प्रदान की।

समाचार प्रेषकः प्रवीण पांडे, बेंगलुरु।

अहंकार से पतन, आत्मनिरीक्षण से बदलाव

पर्युषण महापर्व के प्रथम दिन गुरुदेव मलयप्रभ सागर जी ने आत्मजागृति, अहिंसा और डिजिटल डिटॉक्स का दिया संदेश

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। श्री जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट, बसवनगुडी के तत्वावधान में चातुर्मास के लिए विराजित गुरुदेव श्री मलयप्रभ सागर जी म. सा. ने पर्युषण महापर्व के प्रथम दिन श्रद्धालुओं को आत्मजागृति, अहिंसा और आत्मनिरीक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्युषण महापर्व व्यक्ति को भीतर से जागृत और सजग करने का अवसर है। वर्षभर की दिनचर्या में आत्मचिंतन और साधना को स्थान देना ही इस पर्व की वास्तविक सार्थकता है। गुरुदेव ने कहा कि पर्युषण महापर्व का श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष इंतजार रहता है, लेकिन पर्व की साधना केवल आठ दिनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारा प्रत्येक दिन साधना और आराधना से जुड़ा हो, तभी पर्युषण का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने जीवन में अच्छे गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि व्यक्ति को बगुले और कौए के समान नहीं, बल्कि हंस के समान विवेकशील बनना चाहिए, जो सार को ग्रहण करने और असार को छोड़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के जीवन में पर्युषण के दिनों और सामान्य दिनों के आचरण में अंतर समाप्त हो जाएगा, तभी इस पर्व की साधना सार्थक मानी जाएगी। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है। अच्छे कर्मों का परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है, जबकि पूर्व में किए गए कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। डिजिटल डिटॉक्स पर जोर पर्युषण के कर्तव्यों को वर्तमान समय से जोड़ते हुए गुरुदेव ने डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन में मोबाइल और डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग के कारण व्यक्ति का ध्यान निरंतर बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। ऐसे में पर्युषण आत्मचिंतन और स्वयं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने अहिंसा के पालन को मन, वचन और काया–तीनों स्तरों पर आवश्यक बताया। उनके अनुसार अहिंसा केवल किसी जीव को शारीरिक पीड़ा न पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विचार और वाणी की शुद्धता भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुदेव ने कहा कि अहंकार व्यक्ति के पतन की शुरूआत करता है, जबकि आसक्ति जीवन में नकारात्मकता को बढ़ाती है। इसके विपरीत आत्मनिरीक्षण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उन्होंने मिथ्यात्व को सबसे बड़ा अधर्म बताते हुए कहा कि मिथ्यात्व के नाश और सत्य के मार्ग के लिए ही तीर्थंकर परमात्माओं का अवतरण हुआ। आठ दिनों में आत्मिक उन्नति का संकल्प साध्वी जी डॉ. प्रियश्रद्धांजना श्री जी ने अपने प्रवचन में कहा कि पर्युषण का पहला दिन जीवन में नए प्रकाश और नई चेतना का संदेश लेकर आया है। इन आठ दिनों को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक क्रियाओं से जुड़कर आत्मा की उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों में किए गए धार्मिक अनुष्ठान तभी सार्थक होंगे, जब उनके साथ जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई दे। साध्वी जी ने श्रावक के ग्यारह कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए उनके पालन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रथम कर्तव्य के रूप में वर्ष में एक बार यथाशक्ति संघ पूजा करने की परंपरा है। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति है, जिसमें अपने स्वधर्म का पालन करने वाले साधर्मिक बंधुओं के प्रति भक्ति और सम्मान की भावना रखी जाती है। उन्होंने तीसरे कर्तव्य के रूप में तीर्थ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा का प्रयास करना चाहिए। चौथे कर्तव्य के रूप में स्नात्र महोत्सव का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि परमात्मा का स्नात्र महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने की परंपरा है। पर्युषण महापर्व के प्रथम दिन दिए गए प्रवचनों में साधना, आत्मनिरीक्षण, अहिंसा, संयम और आध्यात्मिक जागृति को जीवन का आधार बनाने का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने धर्मसभा में उपस्थित होकर प्रवचन सुने और पर्व के दौरान आत्मशुद्धि एवं धार्मिक साधना का संकल्प लिया।

समाचार प्रेषकः ललित डाकलिया, बेंगलुरु।

घटिया काम पर होगी कड़ी कार्रवाईः चालुवरायस्वामी

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

बेंगलुरु, 8 सितंबर 2026। उत्तरी कर्नाटक की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं और कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड (KBJNL) के कार्यों की समीक्षा करते हुए जल संसाधन मंत्री एन. चालुवरायस्वामी ने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास एवं सिंचाई कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता, अनावश्यक देरी अथवा सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में मंत्री ने कृष्णा भाग्य जल निगम के विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। निगम का कार्यक्षेत्र विजयपुरा, बागलकोट, रायचूर, यादगिरी, कलबुर्गी, कोप्पल और गडग सहित सात जिलों, पांच जोन, 46 तालुकों और 33 विधानसभा क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मंत्री ने निगम में उपलब्ध मानव संसाधन, झीलों को भरने वाली परियोजनाओं तथा विभिन्न सिंचाई कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ड्रिप सिंचाई परियोजना पर नाराजगी लगभग 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित ड्रिप सिंचाई कार्यों की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चालुवरायस्वामी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिन परियोजनाओं में जलापूर्ति संतोषजनक नहीं है अथवा पांच वर्ष की रखरखाव अवधि से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनकी जांच की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय में लंबित मामलों को केवल देरी का कारण बनाकर कार्यों को अनिश्चितकाल तक न रोका जाए। प्रत्येक कानूनी और प्रशासनिक बाधा का समयबद्ध समाधान खोजने पर जोर दिया गया। UKP-3 परियोजना पर विशेष फोकस मंत्री ने अपर कृष्णा परियोजना के तीसरे चरण (UKP-3) की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की। परियोजना के लिए नहरों और गांवों से संबंधित लगभग 1,33,887 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की चुनौती सामने है। परियोजना के माध्यम से लगभग 100 टीएमसी पानी के भंडारण की संभावना बताई गई है। चालुवरायस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित गांवों के लिए अधिसूचना जारी करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी प्रकार का राजनीतिक या बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी तरह कानून और निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में क्षेत्रीय आयुक्त और निगम के महाप्रबंधक के साथ अलग बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अदालती मामलों के समाधान पर भी जोर मंत्री ने वड्ढ के विभिन्न चरणों से संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अलग फाइल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवश्यक कानूनी और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। विजयपुरा क्षेत्र के बागवानी किसानों की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने नंदावदगी, केरूर, बुदिहाल, भगवती, पमनकल्लूर और चडचना सहित प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा। आवश्यक कारणों से रुके कार्यों के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया अपनाने और सरकारी स्तर पर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

JSSC-CGL गड़बड़ी में 11वीं गिरफ्तारी, पटना से राजन दबोचा

भारतार्थ खबर अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com

रांची/पटना, 8 सितंबर 2026। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL)-2023 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखंड सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम ने बिहार के पटना जिले से राजन कुमार को पकड़ा है। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। सीआईडी के अनुसार राजन कुमार पर परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों और कथित तौर पर अनियमितता में शामिल लोगों के बीच संपर्क कराने में भूमिका निभाने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि उसने कुछ JSSC-CGL अभ्यर्थियों को पश्चिम बंगाल के नियामतपुर स्थित एक होटल में ले जाकर परीक्षा में पूछे जाने वाले कथित प्रश्नों और उत्तरों को याद कराने में भूमिका निभाई। एजेंसी के मुताबिक इस प्रक्रिया से कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका है और इनमें से कुछ

परीक्षा में सफल भी हुए। पूछताछ में सामने आ सकती हैं नई कड़ियां जांच एजेंसी को उम्मीद है कि राजन कुमार से पूछताछ के बाद कथित परीक्षा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान पहले गिरफ्तार आरोपियों और अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ में राजन का नाम सामने आया था। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी भूमिका की जांच आगे बढ़ाई गई। हालांकि जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। इसलिए किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने का अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। 11 आरोपियों तक पहुंची जांच सीआईडी की कार्रवाई के बाद JSSC-CGL मामले में गिरफ्तार लोगों की संख्या 11 हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार इनमें परीक्षा में सफल रहे कुछ अभ्यर्थी भी शामिल हैं। एजेंसी कथित अनियमितताओं के पूरे नेटवर्क और परीक्षा प्रक्रिया में संभावित भूमिका निभाने वाले लोगों की कड़ियों की जांच कर रही है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह भी महत्वपूर्ण हो गया है कि कथित अनियमितता में किस स्तर तक लोगों की भूमिका रही और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हुई।

मंदिर ढहा, नहीं हिली खड़े हनुमान की प्रतिमा

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com

उज्जैन, 8 सितंबर 2026। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण के बीच करीब 170 वर्ष पुराने

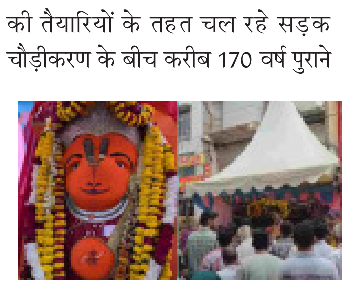

खड़े हनुमान मंदिर का मामला आस्था और विकास के बीच बहस का केंद्र बन गया है। कंठाल चौराहे से छत्री चौक तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आए मंदिर के भवन का बड़ा हिस्सा हटाया जा चुका है, लेकिन मुख्य हनुमान प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाने के प्रयास अब तक सफल नहीं हो सके हैं।

नगर निगम और प्रशासन की ओर से प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रयास किए गए। ताजा रिपोर्टों के अनुसार कई प्रयासों के बावजूद प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। इसके बाद प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रतिमा की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान कैसे रखा जाए।

पुरातात्विक महत्व ने बढ़ाई सावधानी

प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया में पुरातात्विक विशेषज्ञों की राय भी महत्वपूर्ण हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि बिना वैज्ञानिक तरीके से हटाने की कोशिश करने पर प्राचीन प्रतिमा में दरार आने या उसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा हो सकता है। इसी कारण प्रतिमा को जल्दबाजी में हटाने के बजाय विशेषज्ञों की मदद लेने पर जोर दिया जा रहा है।

कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों ने प्रतिमा की वास्तविक प्राचीनता और निर्माण काल की वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता बताई है। स्थानीय स्तर पर इसे करीब 170 वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसके पुराने ऐतिहासिक काल से जुड़े होने की संभावना भी जताई है। इन दावों की पुष्टि के लिए विस्तृत पुरातात्विक अध्ययन आवश्यक है।

Printed Published & Owner by Dhanna Ram Choudhary And Printed at MNS Printers Pvt. Ltd., No.345/4, Bhattarahalli, Old Madras Road, Bengaluru Karnataka-560049. And Published at "Maruthi“Plaza"“, No. 10/1, 1st Cross Road, 3rd Floor , Oil Mill Road, Arvind Nagar , Maruthi Seva Nagar Post, Kammanahalli, Bengaluru Urban, Karnataka -560033, Editor Dhanna Ram Choudhary , For Editorial 91641 17755, Advertisement 88676 89130 , RNI No. KNHIN/2026/A5540. E-Mail: news@bhaarataarth.com, Website: bhaarataarth.com, Established: 2026